राजस्व वाद सं. 2019/00005 बअनवान स्व पेमाराम के का.मु. तेजाराम वगैरा बनाम अशोक कुमार वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील वादी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादग्रस्त भूमि ग्राम मुण्डारा के पुराने खसरा नंबर 274 रकबा सवा बीघा भूमि वादीगण के दादा इन्दा पुत्र मोटाजी ने घीसीया व राजीया सुथार से दिनांक 11.03.1964 को खरीद की थी जिसका नामांतरकरण सं 564 दिनांक 02.12.1975 को भरा गया। वादीगण के दादा के मृत्यु के बाद वादीगण के पिता को हाल सेंटलमेण्ट के पूर्व तक खसरा नंबर 277, 275 में 23 बीघा 4 बिस्वा के खतेदारी हक प्राप्त थे। सेटलमेण्ट के पश्चात गत खसरा नंबरान से बने हाल खसरा नंबर 34 को वादीगण के पिता पेमा पुत्र इन्दा व अन्य सहखातेदारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज किया गया। जिस कारण वादीगण के पिता की ओर से वर्ष 2009 में वाद इस न्यायालय में पेश किया गया। वादीगण के पिता की मृत्य प्रकरण के विचाराधीन रहते हुये हो गयी एवं **वादीगण को पुराने एवं नये राजस्व रेकर्ड की ज्यादा जानकारी नही थी एवं राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बाली में तारीख 15.07.2015 को वादीगण के दावे को डिकी करते हुये हाल खसरा नंबर 34 रकबा 3.68 हैक्टर में से खातेदारों का नाम हटाते हुये वादीगण को 3.60 हैक्टर का खातेदार घोषित किया गया। एवं रकबा 0.08 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 3 के खातेदारी में दर्ज की गई।** प्रतिवादी सं. 1 व 3 का मुण्डारा के हाल खसरा नंबर 34/1 रकबा 0.08 हैक्टर पर पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से काश्त व कब्जा नही रहा है परंतु रिकार्ड में गलत इन्द्राज होने से वादीगण को बेदखल करने की धमकी दे रहे है। जबकि गत व हाल रेकर्ड एवं मौका स्थिति के अनुसार वादग्रस्त भूमि एकमात्र वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि होने से खातेदारी पाने के अधिकारी है। जिससे वादीगण द्वारा उक्त वाद घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का भू–प्रबंध विभाग की त्रुटि होने से पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया मजबूत व सबल प्रकरण होने से वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं 1 से 3 डिकी किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड जमाबंदी संवत 2072 से 2075 ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 34 की प्रति प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खसरा नंबर 398, 930, 1105, 1255 व 1687 प्रदर्श–2, नक्शा किश्तवार हाल ग्राम मुण्डारा प्रदर्श–3 की प्रति, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली के राजस्व वाद प्रकरण सं. 22/09 निर्णय दिनांक 15.07.2015 प्रदर्श –4 की प्रति, नामांतरकरण सं. 564 प्रदर्श–4 की प्रति, नक्शा किश्तवार गत बंदोबस्त ग्राम मुण्डारा की प्रति प्रदर्श–5 की प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रदर्श–6, ओवरलैपिंग नजरी नक्शा की प्रति प्रदर्श–7, सैटलमेण्ट पुर्व की जमाबंदी संवत 2022 से 25 की प्रति प्रदर्श–8, सैटलमेण्ट पुर्व की जमाबंदी संवत 2020 से 23 की प्रति प्रदर्श–9, सैटलमेण्ट पुर्व की जमाबंदी संवत 2030 से 33 की प्रति प्रदर्श–10, मिलान क्षेत्रफल भू–बंदोबस्त की प्रति प्रदर्श–12, हाल नक्शा व गत नक्शा की प्रतियां प्रदर्श 13, 14, समेकित नक्शा की प्रति प्रदर्श–15, एवं प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह पीडब्लु–1 किकाराम पुत्र पेमाराम, गवाह पीडब्लु–2 समाराम पुत्र पेमाराम जातिगण सिरवी जणवा निवासीगण मुण्डारा द्वारा दिये गये बयानो का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि वादीगण द्वारा पूर्व में इसी न्यायालय में वर्ष 2009 में इन्द्राज दुरूस्ती के जरिये घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था जिस वाद को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2015 को वादीगण के अनुतोष अनुसार प्रदर्श–4 के अनुसार निर्णीत किया गया। जिस तथ्य को वादीगण भली–भांति जानते हुये पुनः इस न्यायालय से ग्राम मुण्डारा के हाल खसरा नंबर 34/1 रकबा 0.08 हैक्टर की खातदेारी की मांग कर रहे है। वादीगण का अनुतोष अपीलीय न्यायालय का होने तथा उक्त वाद रैस ज्युडिकेटा के सिद्धांतो से बाधित होने से इस न्यायालय द्वारा	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व इस हुक्म
	वादीगण का अनुतोष स्वीकार किया जाना न्यायसंगत नही है। वादीगण जब तक इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 को निरस्त/संशोधन नही करवा देते तब तक किसी प्रकार की घोषणा खातेदारी पुनः इसी न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नही रहते है। अतः वादीगण द्वारा ग्राम मुण्डारा स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 34/1 रकबा 0.08 हैक्टर की घोषणा खातेदारी, सार्वकालिक निषेधाज्ञा बाँबत प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगणः–

1. स्व. पेमाराम पुत्र इन्दाजी के कायम मुकामः–

1/1. तेजाराम पुत्र पेमाराम

1/2. समाराम पुत्र पेमाराम

1/3. कीकाराम पुत्र पेमाराम

1/4. मानाराम पुत्र पेमाराम

1/5. कसनाराम पुत्र पेमाराम

1/6. श्रीमती भवरी पुत्री पेमाराम

1/7. श्रीमती राजकी पुत्री पेमाराम

1/8. श्रीमती जमु पत्नी पेमाराम जातिगण सीरवी निवासीगण मुण्डारा तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अशोक कुमार पुत्र बालकिशन
2. श्रीमती सुशीला पत्नी बालकिशन
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र जुन्जारजी जातिगण ब्राह्मण निवासीगण मुण्डारा तहसील बाली
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2019/00005
वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादीगण व पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात वादीगण द्वारा ग्राम मुण्डारा स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 34/1 रकबा 0.08 हैक्टर की घोषणा खातेदारी, सार्वकालिक निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/10/24 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.) ★

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner